



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

बिना लाइसेंस के अवैध पटाखा निर्माण करते 02 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक:-10.04.2021

श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद में वृहद चेकिंग अभियान चलाये जाने एवम् अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे।

दिये गये निर्देश के क्रम में आज दिनांक 10.04.2021 को थाना मछरेहटा एवं थाना मिश्रिख पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध विस्फोटक निर्माण करते हुए 02 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया है। कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है:-

कार्यवाही विवरण थाना मछरेहटा

थाना मछरेहटा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध विस्फोटक निर्माण करते हुए एक अभियुक्त कल्लू पुत्र अनीश निवासी ग्राम मोहल्ला कजियारा थाना मछरेहटा जनपद सीतापुर को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से मौके से 05 किलो 150 ग्राम गन्धक, 05 किलो कोयला, 4 किलो 750 ग्राम कलमी शोरा, 02 किलो 400 ग्राम अनार वाली बारुद, 02 किलो 400 ग्राम कागज पलीता पाउडर लगा, 350 ग्राम गोला विस्फोटक पाउडर व तराजू बाट बरामद हुआ है। बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्त कल्लू उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 149/21 धारा 5 विस्फोटक अधिनियम पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया है। जनपद में अपराध एवम् अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही निरंतर इसी प्रकार चलती रहेगी।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 149/21 धारा 5 विस्फोटक अधिनियम थाना मछरेहटा सीतापुर।

अभियुक्त का नाम व पता-

1. कल्लू पुत्र अनीश निवासी मोहल्ला कजियारा थाना मछरेहटा जनपद सीतापुर।

बरामदगी विवरण-

- 05 किलो 150 ग्राम गन्धक, 05 किलो कोयला, 04 किलो 750 ग्राम कलमी शोरा, 02 किलो 400 ग्राम अनार वाली बारुद, 02 किलो 400 ग्राम कागज पलीता पाउडर लगा, 350 ग्राम गोला विस्फोटक पाउडर व तराजू बाट बरामदा

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना मछरेहटा

1. उ0नि0 श्री राजेन्द्र प्रसाद
2. उ0नि0 श्री उमराव सिंह
3. HC अजीत कुमार सिंह
4. HC दारा सिंह
5. का0 मनोज कुमार
6. म0का0 नेहा
7. म0का0 खुशबू

कार्यवाही विवरण थाना मिश्रिख

थाना मिश्रिख पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध विस्फोटक निर्माण करते हुए एक अभियुक्त फकीरे मोहम्मद पुत्र नबीबकश निवासी ग्राम मोहल्ला दौलतपुर वार्ड नं0 3 कस्बा व थाना मिश्रिख सीतापुर को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से मौके से तीन डब्बा 12 स्टार, एसीअन हर्कल्स 1000 वाला एक डब्बा, मोर्थी वाट्स 1000 वाला 3 डब्बा, चिदम्बरम क्राकलिंग वार एक डब्बा चिदम्बरम फ्लॉवर पॉटस स्पेशल दो डब्बा, मोरी हाई फाई 02 पीस एसिअन 2000 बाला नॉनस्टाप क्रैकर, 02 डब्बा जौली 25 राइडर, सुप्रीम पायरोवर्क्स सिवाक्सी एक डब्बा, मुर्गा छाप ओलम्पिक टार्चेज, एक खुला डब्बा जिसमे 02 अनार व राकेट है, मुर्गा छाप ओलम्पिक काली स्वरी सीरेन एक डब्बा कुल 15 बंद डिब्बा, और एक खुला डिब्बा व दो पीस विस्फोटक सामाग्री बरामद हुआ है। बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्त फकीरे उपरोक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0 171/21 धारा 5/9ख विस्फोटक अधिनियम पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया है। जनपद में अपराध एवम् अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही निरंतर इसी प्रकार चलती रहेगी।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 171/21 धारा 5/9ख विस्फोटक अधिनियम थाना मिश्रिख सीतापुर।

अभियुक्त का नाम व पता-

- फकीरे मोहम्मद पुत्र नबीबक्स निवासी मोहल्ला दौलतपुर वार्ड नं0 3 कस्बा व थाना मिश्रिख सीतापुर।

बरामदगी विवरण-

- तीन डब्बा 12 स्टार, एसीअन हर्कल्स 1000 वाला एक डब्बा, मोर्थी वाट्स 1000 वाला 3 डब्बा, चिदम्बरम क्राकलिंग वार एक डब्बा चिदम्बरम फ्लॉवर पॉटस स्पेशल दो डब्बा, मोरी हाई फाई 02 पीस एसिअन 2000 बाला नॉनस्टाप क्रैकर, 02 डब्बा जौली 25 राइडर, सुप्रीम पायरोवर्क्स सिवाक्सी एक डब्बा, मुर्गा छाप ओलम्पिक टार्चेज, एक खुला डब्बा जिसमे 02 अनार व राकेट है, मुर्गा छाप ओलम्पिक काली स्वरी सीरेन एक डब्बा कुल 15 बंद डिब्बा, और एक खुला डिब्बा व दो पीस विस्फोटक

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना मिश्रिख

1. उ0नि0 रजनीश कुमार वर्मा
2. का0 अशोक कुमार
3. का0 पंकज कुमार
4. का0 अनिल कुमार
5. का0 शिवम यादव

थाना मछरेहटा

